



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226773
CG-DL-E-27042021-226773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1578]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943

No. 1578]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2021

का.आ. 1701(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 994 (अ), तारीख 04 मई, 2011 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (नया रारा 52) के किमी 0.000 से किमी 452.800 तक सोलापुर से येदिशी से औरंगाबाद से धुले सेक्शन तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (नया रारा 52) के औरंगाबाद से करोडी सेक्शन के डिजाइन किलोमीटर 290.200 से किलोमीटर 320.640 तक 1.50 कि.मी की समकक्ष संरचना लंबाई (जिनकी लम्बाई 0.150 कि.मी है) (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और बाइपासों जिनकी लम्बाई 30.065 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर से नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनो पर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (धुरी वाले दो)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. बाईपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क शोध्य और संदेय होगा:

सारणी- 2						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	पर शुरू हो कर	पर मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में करोडी गांव के निकट रारा-52 (पुराना रारा-211) के कि.मी. 320.100 (डिजाइन चैनेज) पर	औरंगाबाद बाइपास	डिजाइन कि.मी. 290.200	डिजाइन कि.मी. 320.640	30.065 (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	512.992 (लगभग)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
बाइपास की कुल लंबाई				30.065 कि.मी.		

2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में करोडी गांव के निकट रारा-52 (पुराना रारा-211) के कि.मी. 320.100 (डिजाइन चैनेज) पर	0.150	1.500 कि.मी.	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

क्रम सं	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी.में)
	से कि.मी.	तक कि.मी.		
1	310.643	310.713	बड़ा पुल	0.070
2	311.315	311.395	फ्लाईओवर	0.080
कुल लंबाई				0.150

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00 रूपए (दो सौ पचहत्तर रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
4. राजमार्ग खण्ड पर बहुरात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-4		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियम के उपनियम 1ए के अनुसार विनिर्दिष्ट शुल्क के बराबर का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना के पूंजीगत लागत का अनुमानित मूल्य 2057.74 करोड़ रूपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/पकाई/औरंगाबाद/सारा-211(ए-के) पैकेज 1ए/टोल शुल्क/2020]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2021

S.O. 1701(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.994(E) dated 4th May 2011, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometre 0.000 to kilometre 452.800 of Solapur to Yedishi to Aurangabad to Dhule section of National Highway 211 (New National Highway 52) in the State of Maharashtra to the National Highway Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.50 km (having length of 0.150 km) and one and one half times the base rate for bypasses having length of 30.065 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Aurangabad to Karodi Section from design kilometer 290.200 to kilometer 320.640 of National Highway 211 (New National Highway 52) in the State of Maharashtra and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:

Table-2						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km 320.100 (Design Chainage) of NH-52 (Old NH-211) near Karodi Village in Aurangabad District of Maharashtra	Aurangabad Bypass	Design Km. 290.200	Design Km. 320.640	30.065 (Excluding length of the structures > 60 m)	512.992 (Approximate)	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total length of the bypass				30.065 km		

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 320.100 (Design Chainage) of NH-52 (Old NH-211) near Karodi Village in Aurangabad District of Maharashtra	0.150	1.500 km.	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

S.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	310.643	310.713	Major Bridge	0.070
2	311.315	311.395	Flyover	0.080
Total Length				0.150

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five Only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees **2057.74** crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU/AUR/NH-211(A-K)Pkg1A/TollFee/2020]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.